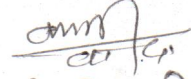
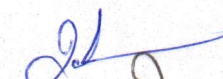
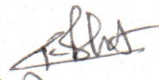


आवश्यक है। अतः प्रस्तावक विभाग को निर्धारित फौरमेट/प्रक्रिया के अनुरूप fca,1980 के तहत प्रस्तावित निर्माण हेतु अपेक्षित 2.602 है० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करना होगा।

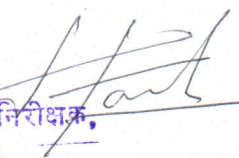

(स्पष्टीकरण पोस्ट)
सहायक अभियंता

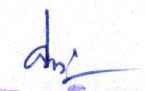

(सची नि. पोस्ट)
वन कोष
7-10-2011


(प्रभावित नि. नया)
उप नि. 8
8-9-10-2011


(निशोच-वन धर)
अधीन


परवारी फरकवाले दुंगरा


राजस्व उपनिरीक्षक,
राजस्व पुलिस क्षेत्र फूरा
तहसील-बनोला जिला-अरमोड़ा
दिनांक


वन क्षेत्र अधिकारी
जागेश्वर,
बनोला (अरमोड़ा)


बनोलीदार
जैती


उप जिला अधिकारी
बनोली (अरमोड़ा)

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला अधिकारी
अरमोड़ा

प्रपत्र-4

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में चैलादेवी - बस्तीपुर - जंती
मोटर का निर्माण। लम्बाई 10.00 कि०मी०

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज दि० 7.10.2011 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बची सिंह परिहार, वन दरोगा, पनुवानौला/धौलादेवी अल्मोड़ा, राजस्व विभाग की ओर से राजस्व उपनिरीक्षक फूटा प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री एस०के० पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०, अल्मोड़ा द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि शून्य है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 1.595 है०, वन पंचायत भूमि 1.007 है० एवं नाप भूमि 1.007 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से 8 गाँव व 2627 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 282 वृक्षों व नाप भूमि पर 84 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....

सहायक वन संरक्षक

सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,

अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

प्रधानासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०,
अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी
भनोली

महोदय, लो० नि० वि०, अल्मोड़ा
संयुक्त निरीक्षण किया गया कि
हस्ताक्षरित प्रमाणित है कि उपरोक्त
प्रयोजन हेतु वन भूमि प्रभावित हो रही है।

प्रतिहस्ताक्षरित

तहसीलदार
भनोली

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-महारागढ़,
तहसील-भनोली (अल्मोड़ा)
29/09/14

राज्य वन विभाग,
बागेश्वर वन क्षेत्र,
लो० नि० वन प्रभाग, अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना-बसन्तपुर-जैती मोटर मार्ग का निर्माण।
लम्बाई 10.00 कि०मी०।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधिशारी अभियन्ता, प्रा०ख०,लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा प्रस्तावित जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना-बसन्तपुर-जैती मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 10.00 कि०मी० के कार्य (गैर वानिकी कार्य) किये जाने हेतु वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक-1042/12-1 दिनांक 11/10/2011 के क्रम में दिनांक 7/10/11 से दिनांक 9/10/11 तक वन विभाग, राजस्व विभाग तथा प्रस्तावक विभाग के निम्न अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया-

- (1) श्री रघु० के० पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, प्रा०ख०, लो० नि० वि०, अल्मोड़ा
- (2) श्री वन० मी० मखार, वन द्रोण, पुर्वानुवा, चैलछीना, अल्मोड़ा
- (3) श्री किशोर चन्द्र शर्मा, भूतल प्रा०ख०, लो० नि० वि०, अल्मोड़ा
- (4) श्री राजेश्वर सिंह न्याय, उप सचिव, जलता, अल्मोड़ा
- (5) श्री

(1) लो०नि०वि० द्वारा राज्य योजना में प्रस्तावित मोटर मार्ग की ल० 10.00कि०मी० व चौ० 9 मी०, प्रस्तावित की गयी है, जो कि सिविल एवं सोयम, वन प्रभाग अल्मोड़ा के जागेश्वर रेंज कार्यालय, के अन्तर्गत निम्न सिविल वन क्षेत्र, वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि में पड़ेगी, विवरण निम्न प्रकार है-

1-सिविल वन भूमि					
क्र० सं०	वन ब्लाक व कक्ष सं०/सिविल एवं नाप भूमि	प्रस्तावित कार्य	अपेक्षित वन भूमि की ल०, (चौ० मीटर में)		
			लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल
1.	ग्राम त्यूनरा, रौसिला, बडियार रैत, टिकर, रणक, व नयासंग्राली से लगी सिविल बेनाप भूमि	मोटर मार्ग	1722	9	1.595 है०
कुल योग			1722	9	1.595 है०

2- वन पंचायत भूमि					
1.	ग्राम त्यूनरा, रौसिला, टिकर, रणक, व नया संग्राली से लगी वन पंचायत भूमि	मोटर मार्ग	1119	9	1.007 है०
कुल योग			1119	9	1.007 है०

3- नाप भूमि					
1.	ग्राम त्यूनरा, रौसिला, बडियार रैत, टिकर, रणक, व नयासंग्राली से लगी नाप भूमि	मोटर मार्ग	7159	9	1.007 है०
कुल योग			7159	9	6.398 है०

(2) अतएव हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित सिविल भूमि व वन पंचायत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०	भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल
1.	ग्राम त्यूनरा, रौसिला, बडियार रैत, टिकर, रणक, व नयासंग्राली से लगी सिविल बेनाप भूमि	1.595 है०
2.	ग्राम त्यूनरा, रौसिला, टिकर, रणक, व नया संग्राली से लगी वन पंचायत भूमि	1.007 है०
कुल योग		2.602 है०

(3) इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु कुल अपेक्षित 2.602 है० वन भूमि तथा 6.398 है० नाप भूमि का भी निरीक्षण किया गया एवं भूमि में स्थित समस्त बाधक 3.66.....वृक्षों की गणना कर वृक्षों पर पेंट से कमांक अंकित किये गये हैं। जिनकी सूची तैयार कर पृथक से पृष्ठ सं०- पर संलग्न की जा रही है।

(4) प्रस्तावित संरेखण में वृक्ष सघन रूप से विद्यमान हैं। स्थल का घनत्व 0.03.....से 0.04.....के बीच है। प्रस्तावित स्थल की जी०पी०एस० रीडिंग निम्न प्रकार है।

Height- 1305 meter	N 29° 31.118'	E 79° 49.915'
Height- 1202 meter	N 29° 30.257'	E 79° 49.520'

(5) अपेक्षित 2.602 है० वन भूमि के दुगने क्षेत्रफल 5.204 है० (अर्थात् 5.500 है०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए : गुणादित्य सिवि.....चयनित किया गया है, जिसकी प्रस्तावित स्थल से दूरी 2.5.....कि०मी० है तथा चयनित क्षेत्र का घनत्व 0.01.....से है।

(6) क्षेत्र के ग्रामीणों को यातायात की सुविधा न हो पाने के कारण उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, किन्तु इस संबंध में आम सभा का प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा संबंधित से लिया जाना आवश्यक होगा। प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु उक्त अपेक्षित भूमि न्यूनतम है एवं प्रस्तावित सड़क निर्माण के संरेखण हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(7) चूंकि प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य हेतु वन भूमि की मांग की जा रही है, फलस्वरूप इस भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होंगे तथा स्थल पर किसी भी गैर वानिकी कार्य (Non-forestry-activities) के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त करनी